



क्र. 735 / स्था. / प्रशा. / 2020,

बिलासपुर, दिनांक 08-09-2020

कार्यालयीय ज्ञाप

गृह मंत्रालय, भारत सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में रोकथाम एवं बचाव हेतु विभिन्न दिशा निर्देश प्रदान किये गये हैं तथा इस संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न आदेश प्रसारित किये गये हैं।

विगत दिवसों में विश्वविद्यालय के कतपय विभागों में कुछ कर्मचारियों की रिपोर्ट पाजिटिव होने की सूचना प्राप्त हुई है। अतः ऐसी स्थिति में संक्रमण फैलने से राकने एवं सुरक्षा हेतु तात्कालिक रूप से विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक विभाग/प्रशासनिक अनुभागों को तत्काल प्रभाव से दिनांक 13.09.2020 तक बंद किया जाता है।

इस दौरान शैक्षणिक विभागों के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके विभागों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा ऑन लाईन शिक्षण इत्यादी का कार्य निर्बाध रूप से सम्पन्न किया जा सके।

महत्वपूर्ण कार्यो यथा वेतन/फेलोशीप भुगतान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/शिक्षा मंत्रालय को जानकारी प्रेषण, परीक्षा आदि हेतु अत्यावश्यक होने पर संबंधित विभाग/अनुभाग उनके नियंत्रक अधिकारी के निर्देशानुसार, पूर्ण सावधानी बरतते हुये, खोले जा सकेगें तथा कार्यो का निष्पादन नियत समयावधि के अंदर संपन्न करना सुनिश्चित किया जायेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ. क्र. 736 / स्था. / प्रशा. / 2020,
प्रतिलिपि :-

बिलासपुर, दिनांक 08-09-2020

01. कुलपति/कुलसचिव के निज सचिव/निज सहायक की ओर माननीया कुलपति महोदया/कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
02. जिलाधीश/अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. प्रभारी, कोनी थाना, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. समस्त अधिष्ठाताओं/समस्त विभागाध्यक्षों/विभागीय अधिकारियों की ओर सूचनार्थ।
05. वित्ताधिकारी/परीक्षा नियंत्रक/सहायक कुलसचिव (अकादमिक) की ओर सूचनार्थ।
06. प्रभारी आई.टी. सेल, संगणक संस्थान की ओर सूचनार्थ एवं विश्वविद्यालय पटल पर अपलोड हेतु।
07. मिडिया सेल, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की ओर सूचनार्थ।
08. कार्यालय प्रति।

Huari'

सहायक कुलसचिव (प्रशासन)